न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

मु. नं. 143/16

ता. रजू 21.12.16

पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जौहरी लाल
2. कैलादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद
3. मदन पुत्र गोविन्दा

समस्त जाति मीना निवासी – अजीजपुर तहसील – टोडाभीम जिला – करौली

(वादीगण)

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नि नन्दराम जाति बैरवा निवासी अजीजपुर जिला – करौली
2. तहसीलदार टोडाभीम
3. जिला कलक्टर करौली

(प्रतिवादी)

दावा – बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय

दिनांक 26.4.2017

संक्षेप में वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 850 रकबा 23 ऐयर, 851 रकबा 3 ऐयर 852 रकबा 13 ऐयर, 853 रकबा 5 ऐयर, 969 रकबा 31 ऐयर कुल किता 5 कुल रकबा 75 ऐयर ग्राम अजीजपुर तहसील टोडाभीम की खातेदारी वादीया नं. 2 के नाम है तथा कब्जे काश्त की भूमि है, तथा आराजी ख.नं. 854 रकबा 11 ऐयर, 855 रकबा 7 ऐयर, 856 रकबा 3 ऐयर, कुल किता 3 कुल 21 ऐयर, ग्राम अजीजपुर जिसका तन्हा खातेदार वादी नं. 1 के पिता जौहरी पुत्र श्रीया रहा है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जौहरी का कानूनी वारिश वादी नं. 1 है। वादी नं. 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त खातेदार है। आराजी खसरा नम्बर 846 रकबा 52 ऐयर, 845 रकबा 9 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकबा 61 ऐयर ग्राम अजीजपुर घरू बँटवारे के तहत

(लगातार)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

वादी नं. 3 के हक मे आयी है जिस पर वादी नं. 3 का कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त वर्णित समस्त आराजी वादी नं. 1, 2,3 की है। जिसमें किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। ना हि कभी मौके पर रहा है, रिकार्ड की दृष्टि से वादीगण की जमीन मे कोई रास्ता नहीं है। ना हि पुराने रिकार्ड में रास्ते का अंकन है, वर्णित आराजीयात में गेहुँ सरसों की फसल काश्त की है। किन्तु प्रतिवादी नं. 1 हमारी जमीन में जबरदस्ती अन्य लोगों के कहने पर रंजिशवश रास्ता निकालना चाहते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही जबरदस्ती की जा रही है। वाका दिनांक 20.12.16 का है कि प्रतिवादी नं. 1 ने कहा कि मै गांव की सरपंच हूँ मैं मेरी मनमर्जी से तुम्हारे ख.नं. 850 रकबा 23 ऐयर, 851 रकबा 3 ऐयर, 852 रकबा 13 ऐयर, 853 रकबा 5 ऐयर, 969 रकबा 31 ऐयर, 854 रकबा 11 ऐयर, 855 रकबा 7 ऐयर, 856 रकबा 3 ऐयर, 846 रकबा 52 ऐयर, 845 रकबा 9 ऐयर में होकर सड़क निकालेगें। तुमसे बनता है वो करलो। इस पर वादीगण ने काफी हाथ जोडे किन्तु प्रतिवादी नं. 1 किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण इस कुचेष्ठा में कायमाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो जायेगी। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम अजीजपुर मे होकर रास्ता नहीं निकाले आराजी को नाकाबिल काश्त न करने प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 2,3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं. 1 स्वयं उपस्थित हुई और मौखिक निवेदन किया कि रास्ता नहीं निकालेगें। आगामी तारीख पेशी पर प्रतिवादी नं. 1 उपस्थित नहीं हुई, उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी वकील ने बहस करते हुए वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की

(लगातार)

Scanned by CamScanner

आराजीयात है। जिससे किसी भी अन्य व्यक्तियों का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 जबरदस्ती सरपंच पद का दबाव डालकर रास्ता निकालना चाहती थी, माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर रास्ता नहीं निकालने का मौखिक कथन भी किया गया है अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को रास्ता नहीं निकालने, नाकाबिल काश्त नहीं करने के लिए पाबन्द फरमाया जावे।

हमने वादी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल जमाबन्दी संवत 2072-2075, जमाबंदी संवत 2036-2039, जमाबन्दी संवत 2041, मिलान क्षेत्रफल संवत 2043-2062, नक्शा ट्रेस साबिक एवं हाल का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 850, 851, 852, 853, 969 कुल किता 5 कुल रकबा 0.75 हे० की खातेदारी वादी नं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 854, 855, 856 की खातेदारी जौहरी पुत्र भैया के नाम दर्ज है। वादी नं. 1 जगदीश प्रसाद, जौहरी लाल का वारिस है। आराजी खा.नं. 845, 846 में वादी नं. 3 मदन पुत्र गोविन्दा का हिस्सा मुताबिक रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण का कोई संबंधी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। न ही किसी प्रकार का लिखित जवाब पेश किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार वादीगण का दावा डिक्री योग्य प्रतीत होने से डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम अजीजपुर की भूमि खसरा नम्बर 850 रकबा 23 ऐयर, 851 रकबा 3 ऐयर, 852 रकबा 13 ऐयर, 853 रकबा 5 ऐयर, 969 रकबा 31 ऐयर, 854 रकबा 11 ऐयर, 855 रकबा 7 ऐयर, 856 रकबा 3 ऐयर, 846 रकबा 52 ऐयर, 845 रकबा 9 ऐयर कुल किता 10 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर में होकर रास्ता नहीं निकाले, आराजी को नाकाबिल काश्त न करें।

निर्णय आज दिनांक 26.4.17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
...(करौली)